जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
121/2016

A-3
1

**अपील सूचना अधि. सं0 121/2016 अनवानी श्री जगसीर सिंह पुत्र श्री वैसाखा सिंह वी.पी.ओ. 43 जीजी खरलां वाया निजामपुरा, कुरेशिया तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी घड़साना।**

**24.10.2016**

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जगसीर सिंह उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री जगसीर सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना से निम्न सूचना चाही थी:–

1– अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 08.06.2015 द्वारा आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना प्रकरण संख्या 2008/2015 जिसकी रूह से अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. का खारिज किया गया है।
2– जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने सम्भागीय आयुक्त बीकानेर के अपील की। माननीय अदालत ने आपके आदेश की प्रति तलब की गई, जिसका कमांक 604/10715 पर दर्ज है।
3– जो दिनांक 10.07.2015 से लेकर 19.06.2016 तक लगभग 1 साल बाद भी आपके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई। जिस कारण प्रार्थी का धन व प्रार्थी, अदालत का अमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। न उपलब्ध करवाने का कारण बताया जावे, ताकि प्रार्थी आगे की कार्यवाही कर सके।
4– प्रार्थी पूर्व में भी यही सूचना मांग चुका है, लेकिन आपका कोई जबाब नही मिला, आगे आपके सहयोग की अपेक्षा है।

अपीलार्थी के उक्त आवेदन पत्र से स्पष्ट है कि उसके द्वारा उपखण्ड अधिकारी घड़साना के आदेश 08.06.2015 के विरूद्ध संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर के न्यायालय में रिकार्ड भिजवाने के संबंध में सूचना चाही जा रही है। इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा अपना प्रतिवेदन संख्या राजस्व/2016/1316 दिनांक 09.08.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा उनके कार्यालय में प्रार्थना पत्र करने पर उनके कार्यालय के पत्रांक 858 दिनांक 03.06.16 से प्रार्थी को सूचित किया गया है कि उनके न्यायालय की पत्रावली संभागीय आयुक्त बीकानेर को पत्रांक राजस्व/2015/883 दिनांक 24.08.15 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने पत्र सं0 राजस्व/2016/858 दिनांक 03.06.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है आप द्वारा अपनी पत्रावली माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त को भिजवाने का निवेदन किया गया है की सूचना चाही गई है। इस सम्बन्ध में लेख है कि आपकी पत्रावली माननीय न्यायालय को इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2015/883 दिनांक 24.08.15 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। पत्र की फोटो प्रति सलंग्न है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्ट
श्रीगंगानगर
12/12



बिन्दु सं0 3 में प्रार्थी ने उसकी पत्रावली एक साल तक संभागीय महोदय बीकानेर के कार्यालय में उपलब्ध न करवाने का स्पष्टीकरण चाहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है **और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को **किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए अपीलार्थी किसी प्रकार का स्पष्टीकरण प्राप्त करने का हकदार नही है।**

चूंकि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उसकी पत्रावली संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर को भिजवाने संबंधी सूचना उपखण्ड अधिकारी घड़साना से चाही गई है। जबकि उपखण्ड अधिकारी के उक्त पत्र सं0 858 दिनांक 03.06.16 के अनुसार अपीलार्थी की संबंधित पत्रावली संभागीय आयुक्त महोदय बीकानेर को पत्र सं0 राजस्व/2015/883 दिनांक 24.08.15 से पूर्व में ही भिजवाई हुई है और इस पत्र की प्रति भी उक्त पत्र दिनांक 03.06.16 के साथ लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा उसकी पत्रावली संभागीय आयुक्त बीकानेर को भिजवाने संबंधी सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपीलार्थी के अपीलपत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 24.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर